



# उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

## क्षेत्रीय कार्यालय : मोतिहारी

### आम निलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित विभिन्न अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल अस्तियों के विक्रय हेतु आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूतिदाता को नोटिस दिया जाता है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सार्वजनिक निलामी के द्वारा सम्पत्ति की निलामी हेतु "जैसा है, जहाँ है के आधार" पर आवेदक को अग्रधन राशि जमा करने की तिथि 20.06.2023 के पहले अथवा उक्त तिथि को अपराह्न 4.00 बजे तक आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम कर्जदार/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	13 (2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची जा रही है	संपत्ति का विवरण	1. मॉग नोटिस की तिथि 2. अधिग्रहण नोटिस की तिथि	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी
1.	शाखा : मोतिहारी ऋणी-मृतुंजय उपाध्याय, पिता रामदेवी उपाध्याय, आंबिका नगर, मोतिहारी,	रु. 1262072.80 एवं ब्याज तथा अन्य खर्च	सम्पत्ति का मालिक मृतुंजय उपाध्याय पिता रामदेवी उपाध्याय के नामित। मौजा-तरकुलवा, प्लॉट नं.-226, खाता नं.-33, रकबा : 15 धुर, चौहद्दी-उत्तर : सोलींग रोड, दक्षिण: प्रसाद चौबे, पूरब:बिमला देवी, पश्चिम : बलेश्वर प्रसाद	1. 04.05.17 2. 14.07.17	1. रु. 41,24,140/- 2. रु. 4,12,414/-

उपरोक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक निलामी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोतिहारी में दिनांक 22.06.2023 को अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे के बीच निम्नलिखित नियमों/शर्तों के तहत की जायेगी। 1. सम्पत्ति का अग्रधन राशि आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत निश्चित किया गया है। 2. आवेदन के साथ सम्पत्ति का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोतिहारी पर देय संलग्न होना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे और आवेदक को निलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। 3. आरक्षित मूल्य से कम मूल्य में सम्पत्तियों की निलामी नहीं की जायेगी। 4. निलामी समाप्त के बाद सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा एवं शेष रकम निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। 5. सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर पूरी रकम का भुगतान कर निलाम किये गये सम्पत्तियों को अपने स्वामित्व में ले लेना होगा अन्यथा उनके पक्ष में हुई निलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई पूरी रकम को जब्त कर लिया जायेगा। 6. निलामी में विफल आवेदकों का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर निलामी स्थल पर ही वापस कर दिया जायेगा। सबसे ऊँची बोली लगाने वाले सहित किसी भी आवेदन को या पूरी निलामी को अथवा किसी भी सम्पत्ति की निलामी को बिना कारण बताए निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा, 7. उपरोक्त सम्पत्तियों को खरीदने के इच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबंधक, मोतिहारी, मो.-9264210012, एवं वसूली एजेंट, मो.-6299261422 से सम्पर्क कर सकते हैं। 8. साथ ही बिक्री से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक क्रेता बैंक के वेबसाइट [www.ubgb.in](http://www.ubgb.in) पर भी देख सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटरदातों/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक संपत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिये जायेगा और अगर कोई अन्य बाकाया शेष होगा तो इसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जायेगा।

दिनांक : 18.05.2023

स्थान : मोतिहारी

प्राधिकृत अधिकारी